

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी : सुश्री दिव्या सोनी, (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

-- :: आदेश :: --

दिनांक : 16/10/25

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंषा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम /पटवार हल्का	खाता संख्या	अशुद्ध नाम/प्रविष्टी	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
664/2025	पेमाराम पुत्र हीरालाल	लोराका बास/नालोट	83, 112	प्रेमचन्द पुत्र हीरालाल	पेमाराम पुत्र हीरालाल
665/2025	श्रवणकुमार पुत्र लच्छीराम	नालोट/नालोट	75, 76, 77	श्रवणकुमार पुत्र लिच्छमण	श्रवणकुमार पुत्र लच्छीराम
666	समदरसिंह पुत्र रतनाराम	नालोट/नालोट	128	समुद्रसिंह पुत्र रतनाराम	समदरसिंह/रतनाराम
667	राजकुमार पुत्र राधेश्याम	नालोट/नालोट	50	राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम	राजकुमार पुत्र राधेश्याम
668	ओमप्रकाश पुत्र बुधाराम	नालोट/नालोट	54	ओमाराम पुत्र बुधाराम	ओमप्रकाश पुत्र बुधाराम
669	रामकिशोर पुत्र खांगाराम	लोराका बास/नालोट	165, 108	किशोर पुत्र खांगाराम	रामकिशोर पुत्र खांगाराम
670	रामनिवास पुत्र केशराराम	लोराका बास/नालोट	53	निवासराम पुत्र केशराराम	रामनिवास पुत्र केशराराम

नोट - संबंधित खाता/खसरा नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे। यह आदेश आज दिनांक को मेरे द्वारा सारे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या सोनी RAS)

उपखण्ड अधिकारी नावां

दिनांक : 16/10/25

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/ 198

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/उप तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
क्रमांक/भ.अ. 152 दिनांक 16-10-2025
मूल ही पटवारी हल्का नालोट
को जांचकर नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी